भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2223

जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

पारेषण और वितरण (टीएंडडी) संबंधी हानियों को कम करने के उपाय

2223. श्री संजय सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत में विद्युत की पारेषण और वितरण संबंधी हानियां दुनिया में सबसे ज्यादा हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा 2015 से विद्युत वितरण के लिए उचित अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या उपाय किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा 2015 से यह सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं कि विद्युत की कोई चोरी न हो जिसके कारण पारेषण और वितरण की हानियां होती हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत में पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) हानियां विकसित देशों की तुलना में सामान्यत: औसत से अधिक हैं लेकिन इनमें कमी का दौर रहा है।

(ख) और (ग) : वितरण नेटवर्क में एटीएंडसी हानियों की कमी का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत विभागों/यूटिलिटियों का होता है। तथापि, भारत सरकार ने राज्यों को उनकी वितरण अवसंरचना प्रणालियों में सुधार लाने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की हैं ताकि चोरी के कारण हुई ऊर्जा हानियों में कमी आ सके। आईपीडीएस/डीडीयूजीजेवाई योजनाओं के अंतर्गत टीएंडडी हानियों में कमी लाने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित है, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत चोरी के लिए दंडात्मक प्रावधान हैं। विद्युत मंत्रालय ने वितरण प्रणालियों में सुधार लाने के लिए वितरण अवसंरचना को आईटी युक्त बनाने, फीडर मीटरिंग, फीडर पृथक्करण और स्मार्ट मीटरिंग के लिए उत्तरोत्तर परिवर्तन करने जैसी कई मध्यवर्ती सुविधाएं प्रदान की हैं ताकि चोरी के कारण होने वाली हानियों सहित ऊर्जा हानि में कमी लाई जा सके।

****